न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-228RAAJodhpur2022-141RTA225 Dharmaram ors Vs Bagadaram etc

01. धर्माराम पुत्र श्री मुकनाराम
02. नेमा पुत्री भंवरलाल
03. भंवराई पुत्री भंवरलाल
04. मुकनाराम पुत्र आमेदराम
05. केसाराम पुत्र नेमाराम
06. लीला पुत्री भंवरलाल
07. तेजाराम पुत्र भंवरलाल
08. राजुराम पुत्र तुलछाराम

सभी जातियान् कुम्हार, निवासीगण- डयो का अरट, हर्ष रोड बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. बगदाराम पुत्र नवलाराम फौते के कायम मुकामः -
   1.1. सीता देवी पत्नी स्व. श्री बगदाराम
   1.2. बाबुलाल पुत्र स्व. श्री बगदाराम
   1.3. नारायणराम पुत्र स्व. श्री बगदाराम
   1.4. सेणी देवी पुत्री स्व. श्री बगदाराम
   1.5. कविता पुत्री स्व. श्री बगदाराम

   जातियान् कुम्हार, निवासीगण- बेरा कतेवड़ा बिजवाड़िया रोड़ चक नं. 4 बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
2. कचराराम पुत्र सुराराम
3. जोगाराम फौत के कायम मुकामः -
   3.1. रतनाराम पुत्र स्व. श्री जोगाराम
   3.2. लिखमाराम पुत्र स्व. श्री जोगाराम
   3.3. नारायणराम पुत्र स्व श्री जोगाराम
   3.4. स्व. लाबुराम पुत्र स्व. श्री जोगाराम के कायम मुकामः -
      3.4.1. सेणी पत्नी स्व. श्री लाबुराम
      3.4.2. धर्माराम पुत्र स्व. श्री लाबुराम
      3.4.3. पानी पुत्री स्व. श्री लाबुराम

12.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जातियान् कुम्हार निवासीगण- बेरा पड़ायों की ढीमड़ी चक नं. 4 बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

4. दुर्गाराम पुत्र सुराराम
5. मंगलाराम पुत्र सुराराम
   जातियान् जाट निवासीगण- बेरा पड़ायों की ढीमड़ी चक नं. 4 बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
6. गोपाराम पुत्र करनाराम फौत के कायम मुकामः -
   6.1. कवराई पत्नी स्व. गोपाराम
   6.2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. गोपाराम
   6.3. सोहनलाल पुत्र स्व. गोपाराम
   6.4. मलाराम पुत्र स्व. गोपाराम
   6.5. पारसराम पुत्र स्व. गोपाराम
   6.6. प्रमोद पुत्र स्व. गोपाराम
   6.7. रुकमा पत्नी स्व. गोपाराम
   जातियान् कुम्हार, निवासीगण- बेरा कतेवड़ा बिजवाड़िया रोड़ चक- 4 बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
7. चेनाराम पुत्र मोहनलाल
8. छैलाराम पुत्र करनाराम
9. भुण्डाराम पुत्र मोहनलाल
10. मंगलाराम पुत्र करनाराम
11. श्रीमती शांति पत्नी मोहनलाल
    सभी जातियान् कुम्हार धमाणिया, निवासीगण- बेरा राज बाग, चौपड़ा फीडर के पास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
12. कन्हैयालाल पुत्र चैनाराम
13. कमला पुत्री भंवरलाल
14. रमेश पुत्र चैनाराम
15. किस्तुरी देवी पुत्री चैनाराम
16. गुड़िया पुत्री भंवरलाल नाबालिग संरक्षक भंवराई पत्नी भंवरलाल
17. गीता पुत्री भंवरलाल
18. ढगलाराम पुत्र भंवरलाल
19. तेजाराम पुत्र भंवरलाल नाबालिग संरक्षक भंवराई पत्नी भंवरलाल
    19.1. राजुराम पुत्र तुलछाराम
    19.2. किशोर पुत्र तुलछाराम

सि
12.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

19.3. इन्द्रादेवी पत्नी तुलछाराम
सभी जातियान् कुम्हार धमाणिया, निवासीगण- बेरा डयो का अरट, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

20. सेणी देवी पत्नी चेनाराम
21. संतोष पुत्री चेनाराम
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 31 मई 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2021 बगदाराम व अन्य बनाम कन्हैयालाल इत्यादि

उपस्थित-
श्री गौतम भार्गव, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सुनिल पटेल, श्री चन्द्रशेखर पुरोहित, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 10
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 22

नि र्ण य

दिनांक : 12 फरवरी 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2021 बगदाराम व अन्य बनाम कन्हैयालाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 31 मई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 06 जून 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से ग्यारह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 289, 335, 338, 1320, 290, 303, 344 ग्राम बरना तहसील

12.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बिलाड़ा में आने-जाने हेतु अपीलांट्स के खातेदारी खसरा नं. 288 में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार अ,ब,स,द रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31 मई 2022 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक से ग्यारह का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा जो मौके का नजरी नक्शा पेश किया है, उसमें रास्ते के तीन विकल्प बताये गये है। प्रथम विकल्प के रास्ते की दूरी 363 मीटर बताई गई है जो रास्ता खसरा नं. 303 से लगता है। द्वितीय विकल्प के रास्ते की दूरी 205 मीटर बताई गई है जो खसरा नं. 289 को लगता है। तृतीय विकल्प का रास्ता सबसे लघुतम एवं निकटम बताया गया है, जिसकी दूरी मात्र 110 मीटर बताई गई है जो खसरा नं. 302 से लगता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निकटतम विकल्प पर गौर किये बिना सबसे लंबी दूरी का रास्ता प्रदान किया है। रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि हेतु पूर्व से रास्ता मौके पर मौजूद होते हुए भी नये रास्ते का आदेश पारित किया है जो धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश आत्यंतिक आवश्यकता के आधार पर पारित नहीं किया जाकर केवल रेस्पोडेंट्स के सुखाचार के उद्धेश्य से पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

12-2-24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2021 बगदाराम व अन्य बनाम कन्हैयालाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 31 मई 2022 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बिलाड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत रास्ता दिया गया है। रेस्पो. अपनी उक्त खसरान् की भूमि में आवागमन अपीलाधीन रास्ते से ही करते है। उक्त अपीलाधीन रास्ता रेस्पोडेंट्स की सभी खातेदारी की भूमियों को आपस में जोड़ता है। मौका फर्द में तृतीय विकल्प का जो लघुतम रास्ता बताया गया है, उक्त विकल्प का रास्ता रेस्पोडेंट्स के सभी खसरान् के लिए दूरी वाला विकल्प है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा सभी खसरान् के लिए निकटतम दूरी वाला रास्ता प्रदान किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 14 अगस्त 2021 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट्स के खातेदारी खसरान् की भूमियों में आवागमन रास्ते के तीन विकल्प बताये गये है, जिनकी दूरियॉ क्रमशः 363 मीटर (मार्क अ,ब,स,द) 205 मीटर (मार्क य,र,ल,व) तथा 110+ 68 मीटर (मार्क ए.बी.सी.डी.) है। उक्त तीनों

12-2-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विकल्पों में से सबसे लघुतम एवं निकटतम दूरी वाला विकल्प मार्क ए.बी. सी.डी. 178 मीटर दूरी वाला पाया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकटतम दूरी वाले विकल्प पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये सबसे लंबी दूरी वाले विकल्प का चयन करते हुए रास्ता घोषित किया है, जिससे भूमि का अधिक रकबा रास्ते के रूप में व्यर्थ होगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2021 बगदाराम व अन्य बनाम कन्हैयालाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 31 मई 2022 को अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह खसरा नं. 300 तथा 302(सभी आवश्यक पक्षकारान् को) के खातेदारान् को प्रकरण में पक्षकार संयोजित करते हुए तथा उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निकटतम रास्ते का आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.2.24

मंगलाराम पूनिया

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर